(2)

राजस्थान सरकार
राजस्व (उप निवेशन) विभाग

क्रमांक/प.6(3)(34)राज/उप/87 / जयपुर, दिनांक

[illegible] उपनिवेशन
बीकानेर ।

विषयः- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग [illegible] आवंटन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेखन है की [illegible] के मुख्य नहर के किनारे वन विभाग को वन विकास एवं वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उपनिवेशन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भूमि का निर्धारित सीमा व शर्तों को निर्धारित [illegible], में चयन कर एक माह में आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाये ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके :-

<u>अनिवार्य सीमा :-</u>

1.	मुख्य केनाल से	200 मीटर बाये	100 मीटर दायें
2.	ब्रान्च नहर से	150 --"--	50 --"--
3.	वितरिका से	50 --"--	50 --"--
4.	माईनर इत्यादि	25 --"--	25 --"--

वितरिका

<u>अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त :-</u>

1.	मुख्य नहर	1000 मीटर बाये तथा 500 मीटर दायें
2.	ब्रान्च नहर	500 मीटर बाये तथा 500 मीटर दायें
3.	वितरिका	500 मीटर बाये तथा 500 मीटर दायें
4.	माईनर इत्यादि	500 मीटर बाये तथा 500 मीटर दायें

<u>इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :-</u>

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों से प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा में स्थित राजकीय/काश्तकार [illegible] भूमि को आरक्षित करके आवंटन उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को करेगा । इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत भूमि के संबंध में 2 बीघा असिंचित भूमि के बदले में 1 बीघा सिंचित भूमि तथा एक बीघा सिंचित भूमि के बदले में एक बीघा सिंचित भूमि के आस-पास में तबादले में भूमि धारक की सहमति लेकर अन्य जगह भूमि दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को चाहिये वह भूमि वन विभाग इस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा ।

5834
15/8/90

उपनिवेशन
2
24 AUG 1990

ASSISTANT ENGINEER (DDUGJY)
JODHPUR DISCOM, JAISALMER

2. अनिवार्य भूमि की प्रस्तावित दूरी की सीमा से अतिरिक्त भूमि को प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अनकमाण्ड भूमि [illegible] विभाग वन विभाग को आवंटित करेगा । इन पट्टियों में [illegible] भूमि/राजकीय कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा [illegible]

3. अनिवार्य सीमा में स्थित पट्टियों में उपरोक्तानुसार [illegible] इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की भूमि [illegible] वन विभाग के लिए आरक्षित की जाती है । [illegible] द्वारा उक्तानुसार आरक्षित किये गये क्षेत्र में [illegible] काश्तकारों को आवंटन नहीं किया जायेगा । दूसरे शब्दों में अनिवार्य पट्टी में कमाण्ड व अनकमाण्ड दोनों प्रकार की भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जायेगा । लेकिन अतिरिक्त भूमि की पट्टी में जहाँ अनकमाण्ड भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जायेगा । इस पट्टी में कमाण्ड भूमि का आवंटन कृषकों को करने में कोई रोक नहीं होगी ।

4. वन विभाग व उपनिवेशन विभाग के अधिकारीगण [illegible] में आपसी आरक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर [illegible] जिसके फलस्वरूप वन विभाग भूमि आवंटन के निश्चित प्रस्ताव आयुक्त, उपनिवेशन विभाग को भेजेगा । तत्पश्चात उपनिवेशन आयुक्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आवंटन की सिफारिश करेगा । सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा [illegible] रूप से वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आवंटन करेगी, जिसमें यह भी शर्त होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु आवंटित भूमि वन विभाग से कभी भी वापस ले सकेगी तथा उस पर केन्द्रीय वन अधिनियम, वन [illegible] लागू नहीं करायेगा ।

5. आयुक्त, उपनिवेशन एवं वन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी [illegible] कलापन करेंगे कि सर्वप्रथम किन स्थानों पर भूमि के [illegible] सर्वे की कार्यवाही कितने वर्षों में तथा [illegible] किस प्रकार [illegible] की जाये ताकि जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ पहले ही आवंटन का कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिया जा सके ।

6. [illegible] चैनल के आस-पास तथा उपयुक्त भूमि व सड़कों के दोनों ओर की भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य व वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने अपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है । वन विभाग पूर्ण व निश्चित विवरण की सूचना उपनिवेशन विभाग को उपलब्ध करायेगा जिससे उस पर निश्चित निर्णय लिया जा सके ।

7. इस विभाग के पत्र क्रमांक-3(54)राज/उप/87 दिनांक [illegible] के अतिक्रमण में यह आदेश जारी किया जाता है ।

भवदीय,

[illegible]

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-
1. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

ASSISTANT ENGINEER (DDUGJY)
JODHPUR DISCOM, JAISALMER